न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 124/2019

प्रार्थी :– रामसुख पुत्र श्री हरीराम, जाति माली, निवासी खेडुली, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, मेड़ता।
2. पटवारी हल्का, खेडुली।

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 24/12/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी मोईनुदीन सांखला ने प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेडुली की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 716 रकबा 0.97 हैक्टेयर किस्म बा–1 प्रार्थी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। प्रार्थी अनपढ, भोला व्यक्ति है। प्रार्थी के पिता की फौतगी पर जब फौतगी नामान्तरकरण भरा गया तब प्रार्थी के पिता का नाम हरीराम के स्थान पर "**हराराम**" दर्ज कर दिया, जो मात्र लिपिकीय भूल है। प्रार्थी के अन्य खेतं की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम हरीराम सही दर्ज है तथा प्रार्थी को विभिन्न राजकीय रेकर्ड में रामसुख पुत्र श्री हरीराम ही दर्ज किया गया है। प्रार्थी के राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि सभी प्रमाण पत्रों में प्रार्थी के पिता का नाम हरीराम ही

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

दर्ज किया हुआ है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम हरीराम ही है। प्रार्थी के पिता का नाम "हराराम" के स्थान पर "हरीराम" दर्ज किये जाने से किसी को कोई क्षति नही है, न ही कानूनी रूप से कोई अड़चन ही है। अभी हाल ही में प्रार्थी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहा तब पटवारी हल्का से दिनांक 07.01.2019 को खतौनी की नकल ली, तब प्रार्थी को प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने की जानकारी हुई। जिससे प्रार्थी के उक्त खेत की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को रेकर्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने यह गलती नये सेटलमेंट से पूर्व की होने से श्रीमान न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। जिससे प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश कर रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खेडुली के खेत खसरा नम्बर 716 रकबा 0.97 हैक्टेयर की खातेदारी में रामसुख पुत्र श्री हराराम के स्थान पर "रामसुख पुत्र श्री हरीराम" दर्ज करवाया जावें।

2. प्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में, मौजा खेडूली की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 415, 416, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की फोटो की प्रतियां की।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार(भू.अ.) मेड़ता ने पटवारी हल्का खेडूली एवं आई.एल.आर. रेण की मूल मौका रिपोर्ट मय अभिशंषा पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1197 दिनांक 03.10.2019 भिजवायी है, आर.आई. रेण एवं पटवारी हल्का खेडूली ने

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मौजा खेड़ूली के राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 716 रकबा 0.97 हैक्टेयर की खातेदारी रामसुख पुत्र श्री हराराम, कौम माली, सा. देह के नाम दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में रामसुख पुत्र श्री हरीराम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड व प्रार्थी के निजी दस्तावेजों में पिता के नाम में अन्तर होने से सरकारी सुविधाएं के.सी.सी., फसल बीमा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करना आदि से वंचित है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम प्रार्थी के निजी दस्तावेजों में दर्ज अनुसार "हराराम" के बजाय "हरीराम" किया जाना उचित है।

4. विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रार्थी के पिता का रेकर्ड में नाम हरीराम है परन्तु जमाबंदी में फौतगी म्यूटेशन के वक्त हराराम दर्ज कर दिया गया। सभी रेकर्ड में हरीराम दर्ज है। अतः माफिक तहसीलदार मेड़ता की उपरोक्त अभिशंषा रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड में शुद्धि करने की कृपा करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1197 दिनांक 03.10.2019 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

6. तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1197 दिनांक 03.10.2019 के आधार पर मौजा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खेड़ूली के खसरा नम्बर 716 रकबा 0.97 हैक्टेयर की खातेदारी रामसुख पुत्र श्री हराराम कौम माली, सा. देह के स्थान पर रामसुख पुत्र श्री हरीराम की जाने स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1197 दिनांक 03.10.2019 निर्णय का भाग होगी।

7. तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो, भूमि रहन नही हो तथा रकबा में कोई परिवर्तन नही तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के.आर. चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता रोड़(राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2020.02.04 13:15:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: